बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लिमिटेड, पटना की उपविधि

1. **नाम, पता तथा क्षेत्राधिकार:**

1.1 इस परिसंघ का नाम होगा " **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लिमिटेड।**" उसका पंजीकृत कार्यालय पता जबतक कि फेडरेशन का स्थायी कार्यालय निर्धारित नहीं होता है तब तक विकास भवन, पटना स्थित सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय होगा।

1.2 अगर निबंधित पता में कोई परिवर्त्तन किया जायेगा तो 15 दिनों के अन्दर इसकी सूचना निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना एवं इस फेडरेशन की वित्त प्रदायी संस्थाओं को देनी होगी।

1.3 इस फेडरेशन का कार्याक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य में सीमित होगा।

1.4 यह फेडरेशन बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना तथा इस प्रकार की समितियों को शीर्ष सहकारी समिति होगी।

2. **परिभाषाएँ:**

इस उप–विधि में, जब तक कोई विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो:।

2.1 **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935।

2.2 **'बोर्ड/मंडल'** से अभिप्रेत है इस उप–विधि में यथा वर्णित फेडरेशन (परिसंघ) का निदेशक मंडल

2.3 **'अध्यक्ष'** से अभिप्रेत है फेडरेशन(परिसंघ) के अध्यक्ष।

2.4 **'जिन्स'** से अभिप्रेत है सब्जी उत्पाद, सब्जियों के कच्चे या प्रसंस्कृत या डिब्बाबंद उत्पाद और संश्रित उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री, उपकरण, मशीन आदि।

2.5 **'फेडरेशन(परिसंघ)'** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लिमिटेड।

2.6 **'सदस्य'** से अभिप्रेत है इस उप–विधि में यथा विहित फेडरेशन(परिसंघ) के सदस्य।

2.7 **'सब्जी संघ'** से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राजिस्ट्रीकृत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड।

2.8 **'प्रबंध निदेशक'** से अभिप्रेत है फेडरेशन(परिसंघ) के निदेशक मंडल अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त फेडरेशन(परिसंघ) के प्रबंध निदेशक।

2.9 **'प्रोंग्रामिंग समिति'** से अभिप्रेत है इस उप–विधि के उपबंधों के अधीन यथा गठित समिति।

2.10 **'रजिस्ट्रार'** से अभिप्रेत है सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में यथा परिभाषित सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार।

2.11 **'नियमावली'** से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन गठित नियमावली।

2.12 **'आम बैठक'** में शामिल है फेडरेशन(परिसंघ) के सदस्यों की साधारण, असाधारण और विशेष आम बैठक।

प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि ... राज्य सब्जी प्रसंस्करण ... विपणन सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लि० ... उपविधि ... बिहार सहकारी ... सोसाइटी ... धारा ... निबंधित ... सोसाइटी ... निबंधन संख्या 01/HSR/2020
निबंधक

Amit
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लिमिटेड

3. उद्देश्य:

फेडरेशन(परिसंघ) के मूल उद्देश्य होंगे:

3.1 कृषक समाज के आर्थिक विकास के लिए सब्जी उत्पादों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देनेवाली गतिविधियों को कार्यान्वित करना।

3.2 ऐसी संश्रित गतिविधियों का विकास एवं विस्तार जो सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, कृषियोग्य भूमि के सुधार एवं संरक्षण तथा उत्पादन में लगे हुए लोगों की आर्थिक बेहतरी के लिए सहायक हों। खास तौर पर और पूर्ववर्ती उद्देश्यों की व्यापकता के प्रति बिना किसी पक्षपात के फेडरेशन(परिसंघ):

3.2.1 इसके सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बगैर, सदस्यों से या अन्य स्त्रोतों से जिन्सों की खरीद, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, निर्माण, वितरण और इसका विक्रय कर सकेगा।

3.2.2 सब्जियों तथा संश्रित उत्पादों के उत्पादन, खरीद और विपणन से जुड़े पारस्परिक हितों की समस्या का अध्ययन कर सकेगा।

3.2.3 व्यवसाय को कार्यान्वित करने के लिए इमारतें, संयंत्र, मशीनों और अन्य सहायक उपकरण खरीद और/या खड़ा कर सकेगा।

3.2.4 शोध एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकेगा।

3.2.5 सदस्य संघों को कृषि उत्पादन, निवेश, कीटनाशक तथा विस्तार सेवाएँ, सुविधाएँ उपलब्ध करा सकेगा और पौम्प संरक्षण गतिविधियों की जिम्मेदारी लेने के लिए जिससे कि सब्जियों की उत्पादकता बढ़ सके, ऐसा करने में सदस्य संघों की मदद कर सकेगा।

3.2.6 सब्जी उत्पादों और जिन्सों के परिवहन के लिए जरूरी इन्तजाम कर सकेगा।

3.2.7 प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा अंकेक्षण कार्यों के सभी पहलुओं में सदस्य सहकारी सब्जी संघों को परामर्शित, मार्गदर्शित, सहायता और नियंत्रित कर सकेगा।

3.2.8 कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री आदि की खरीद या खरीद में मदद कर सकेगा या जरूरत पड़ने पर किसी के साथ सहयोग करने में मदद कर सकेगा।

3.2.9 सहकारी विकास हस्तक्षेप तथा सदस्य शिक्षण कार्यक्रम सहित सभी सदस्य संघों एवं सोसाइटियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर सकेगा।

3.2.10 फेडरेशन(परिसंघ) के कार्यों को निष्पादित करने के लिए और फेडरेशन(परिसंघ) के कार्यों की यदि जरूरत न हो तो उसे निस्तारित करने के लिए चल या अचल संपत्तियों का स्वामित्व रख सकेगा या लीज प्राप्त कर सकेगा या किराये पर ले सकेगा।

3.2.11 अपने उत्पादों का अपने स्वंय के ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम के अधीन या अपने सदस्य संघो के ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम के साथ विपणन कर सकेगा।

3.2.12 पैदावार पश्चात गतिविधियों तथा उत्पादों के विपणन को विस्तारित करने या बढ़ावा देने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति/अभिकरण के साथ सांविदिक संबंध स्थापित कर सकेगा।

3.2.13 प्राथमिक सब्जी सोसाइटियों के संगठन को बढ़ावा दे सकेगा और प्राथमिक सब्जी सोसाइटियों के संगठन के सदस्यों की मदद कर सकेगा।

3.2.14 फेडरेशन(परिसंघ) तथा इसके सदस्य संघों की खरीद एवं उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करने और इसके प्रभावी विपणन के लिए विकासात्मक रणनीतियों एवं कार्यक्रम की योजना बना सकेगा।

3.2.15 सदस्य संघों को तकनीकी, प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य जरूरी मदद प्रदान कर सकेगा ओर जरूरत पड़ने पर किसी के साथ सहायता संधि कर सकेगा।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन

3.2.16 सदस्य संघों को मूल्य निर्धारण, जन संपर्क तथा संश्रित मामलों पर परामर्श दे सकेगा।

3.2.17 कर्मचारियों के कल्याणार्थ न्यास और निधियाँ सृजित कर सकेगा।

3.2.18 सदस्य संघों तथा सदस्य संघों की संबद्धता प्राप्त सोसाइटियों की समय–समय पर देख–रेख की जिम्मेवारी ले सकेगा। अधिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन किसी सदस्य संघ या प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों को समाप्त करने की अनुशंसा करने की शक्ति भी फेडरेशन(परिसंघ) को होगी।

3.2.19 शोध एवं विकास के कार्यक्रम की जिम्मेवारी ले सकेगा या उसमें मदद कर सकेगा।

3.2.20 स्वतंत्र अस्तित्व वाले शोध एवं विकास संघ की स्थापना कर सकेगा ताकि अपनी निधि में सहायता प्राप्त कर सके और इसके लिए सदस्य संघों से निधियाँ उगाह सके।

3.2.21 बचत योजनाओं का आयोजन कर सकेगा और उनमें सहायता कर सकेगा तथा सहकारिता आंदोलन की संकल्पना तथा उससे लाभ को प्रचारित कर सकेगा।

3.2.22 (क) राजिस्ट्रार के अनुरोध पर अपने सदस्य संघों के प्रशासक के रूप में कार्य कर सकेगा और बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 41 के अधीन सदस्य संघों के प्रबंधन को अधिग्रहित कर सकेगा।

(ख) फेडरेशन(परिसंघ) किसी सदस्य संघ के आग्रह पर या सहकारिता सोसाइटी के रजिस्ट्रार के निदेश पर ऐसे संघ के प्रबंधन को आंशिक रूप से या पूर्णतः अधिग्रहित कर सकेगा।

3.2.23 सदस्य तथा संबद्धता प्राप्त सोसाइटियों के सदस्यों द्वारा सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगा।

3.2.24 विपणन प्रागण, प्रसंस्करण इकाई भंडारण, शीत भंडारण, पैकिंग इकाइयों आराम कक्ष और फसल पश्चात प्रबंधन को सुगम बनानेवाली अन्य मूल्य संवर्द्धन गतिविधियों का स्वामित्व रखने तथा स्थापित करने में सदस्य संघों की सहायता कर सकेगा।

3.2.25 सदस्य उत्पादक संघों तथा प्राथमिक सहकारिताओं द्वारा आवश्यक सामग्रियों की खरीद में सहायता कर सकेगा या इसकी व्यवस्था कर सकेगा।

3.2.26 और फेडरेशन (परिसंघ) के इन उद्देश्यों में से किसी को हासिल करने के लिए सामान्यतः जो भी आवश्यक या उचित या प्रेरक या आनुसंगिक कदम उठाने पड़ेगे, उठा सकेगा।

4. निधियाँः– निम्नलिखित के द्वारा निधियाँ उगाही जा सकेंगीः

4.1 शेयर

4.2 डिबेंचर

4.3 ऋण

4.4 अनुदान, सहायता एवं परिदान

4.5 दान

4.6 प्रवेश शुल्क

4.7 आपसी सहमति के आधार पर संस्थाओं की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार फेडरेशन (परिसंघ) किसी भी विकास अभिकरण या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण आदि स्वीकार कर निधियाँ स्वीकार कर सकेगा।

4.8 फेडरेशन (परिसंघ) की प्रधिकृत शेयर पूँजी बीस करोड़ रूपये होगी जो दो सौ हजार शेयरों में विभाजित होगी, जिसमें से एक शेयर की कीमत एक हजार रूपये होगी और जिसका पूरा भुगतान शेयरों के आवंटन पर किया जाएगा।

Amit

4.9 उपर्युक्त कंडिका (4.2) तथा (4.3) में विनिर्दिष्ट प्रकार की उगाही जानेवाली निधियाँ भुगतानकृत शेयर पूँजी के बारह गुणा तथा सुरक्षित निधि के योग से अधिक नहीं होगी; अधिनियम या उसके अधीन नियमावली में यथा उपबंधित कम संचित हानि।

5. सदस्यताः

फेडरेशन (परिसंघ) की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार की होगी।

(i) साधारण (ii) अभिहित

5.2.1 फेडरेशन (परिसंघ) के अधिकार क्षेत्र के अधीन पड़नेवाले अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई पंजीकृत सब्जी संघ एक अभिहित या साधारण सदस्यता रखने का हकदार होगा।

5.2.2 स्वयं को अभिहित सदस्य के रूप में नामांकित करने के इच्छुक किसी सब्जी संघ को 1111/— रू॰ आवेदन शुल्क तथा 5,000/— रू॰ वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ विहित प्रारूप में लिखित में फेडरेशन (परिसंघ) के पास आवेदन कराना पड़ेगा। हालांकि अभिहित सदस्य को मतदान का अधिकार या मुनाफे में हिस्सेदारी नहीं होगी।

5.2.3 किसी अभिहित सदस्य के स्वयं को साधारण सदस्य के रूप में नामांकित करने हेतु फेडरेशन (परिसंघ) के पास आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका फेडरेशन (परिसंघ) के साथ दो लाख रूपये का व्यवसायिक लेन—देन हुआ हो। साधारण सदस्यता की योग्यता रखनेवाला कोई अभिहित सदस्य 2511/— रूपये प्रवेश शुल्क तथा उपविधि में यथा विहित संख्या में शेयरों के लिए वांछित राशि के साथ फेडरेशन (परिसंघ) के पास आवेदन करेगा। फिर भी, ऐसे अभिहित सदस्य को सदस्यता आम बैठक के अनुमोदन के अध्यधीन दी जाएगी।

5.2.4 उपविधि संख्या 5.2.2 एवं 5.2.3 में वर्णित अभिहित सदस्यों के अलावे अभिहित सदस्यता ऐसे किसी व्यक्ति के लिए खुली होगी जो संविदा के लिए सक्षम होगा तथा जिसका फेडरेशन (परिसंघ) के साथ व्यावसायिक लेन—देन या किसी प्रकार का सांविदिक संबंध होगा। ऐसे अभिहित सदस्य को सिर्फ 2511/— रू० का नामांकन शुल्क चुकाने की जरूरत होगी, जो अप्रत्यर्पणीय होगा। इन अभिहित सदस्यों को फेडरेशन(परिसंघ) की शेयर पूँजी की खरीद नहीं करनी पड़ेगी न ही फेडरेशन (परिसंघ) के किसी मामले में मतदान करने का या संघ के अधीन किसी पदाधिकारी को चुनने की माँग करने का कोई अधिकार होगा न ही फेडरेशन (परिसंघ) के मुनाफे में हिस्सेदारी का दावा करने का कोई अधिकार होगा।

5.2.5 वे सब्जी संघ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के आवेदन तथा उपविधि पर हस्ताक्षर किये हैं, साधारण सदस्य के रूप में नामांकित समझे जाएँगे।

5.2.6 सब्जी संघों के अलावे फेडरेशन (परिसंघ) की सदस्यता राज्य सरकार के लिए भी खुली होगी जिसे अन्य सदस्यों के लिए विहित प्रवेश शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं होगी।

5.3 प्रत्येक सदस्य कम से कम एक शेयर रखेगा। फिर भी, प्रारंभ में, प्रत्येक साधारण सदस्य जिला सब्जी संघ शेयर पूँजी के रूप में 20,000/— रू० का ग्राहक बनेगा। (इसे किस्तों में जारी किया जा सकता है।)

5.3.1 फेडरेशन (परिसंघ) को यह अधिकार होगा कि वह साधारण सदस्यों को समय—समय पर बोर्ड द्वारा यथा विहित फेडरेशन (परिसंघ) के माध्यम से किये गये व्यवसाय के अनुपात में शेयर पूँजी तथा/अथवा डिबेंचर का ग्राहक बनने के लिए कह सके।

5.3.2 यदि शेयर तथा/या डिबेंचर की राशि का निर्धारित तिथि से छः महीने से अधिक तक भुगतान नहीं किया जाता तो निदेशक बोर्ड, जैसा ठीक समझे, सदस्यों पर उचित कार्रवाई कर सकेगा।

6. किसी सदस्य की दायिता उसके द्वारा क्रय किये गये शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य तक सीमित होगी।

7. जब कोई सदस्य किसी शेयर का ग्राहक बनेगा तो हर बार एक शेयर प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा।

7.1 किसी के शेयर प्रमाण–पत्र के खो जाने की स्थिति में एक अनुलिपि शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके साथ बोर्ड के अनुमोदन से सदस्य द्वारा एक क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत किया जाएगा।

8. फेडरेशन (परिसंघ) की संपत्तियों तथा निधियों का निवेश अधिनियम तथा राज्य की नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

9. एक बार संबद्ध हो जाने के बाद, जब तक कि यह विघटित नहीं हो जाता तब तक रजिट्रार की अनुमति के बिना कोई सदस्य असंबद्ध होने की माँग नहीं कर सकता।

10. सहकारिता सोसाइटी अधिनियम के उपबंध के अधीन कोई सदस्य आम बैठक में उपस्थित 3/4 सदस्यों के एक प्रस्ताव द्वारा तथा निम्नांकित कारणों में से किसी एक के लिए मतदान से निष्कासित किया जा सकेगा।

10.1.1 यदि कोई सदस्य निरंतर चूककर्त्ता हो और आदतन फेडरेशन (परिसंघ) के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में विफल रहे;

10.1.2 यदि सदस्य गलत बयानी द्वारा फेडरेशन (परिसंघ) को पूरी तरह धोखा दे।

10.1.3 यदि सदस्य कोई ऐसा काम करे जिससे फेडरेशन (परिसंघ) की छवि को नुकसान पहुँच सकता हो।

10.2 निदेशक मंडल ऐसे सदस्य को निष्कासन हेतु चौदह दिनों की लिखित नोटिस देगा। निष्कासन में सदस्य द्वारा धारित सभी शेयरों की जब्ती शामिल हो सकती है।

11. सदस्य कम से कम एक वर्ष तक रखने के बाद शेयर, फेडरेशन (परिसंघ) के निदेशक मंडल के अनुमोदन से, दूसरे सदस्य को अंतरित कर सकेगा। कोई भी अंतरण तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक अंतरितों का नाम शेयर अंतरण पंजी में दर्ज नहीं हो जाता तथा 50/– रूपये प्रति शेयर की दर से शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

12. <u>सदस्यता की समाप्तिः</u>

किसी साधारण सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगीः

12.1 त्यागपत्र देने पर।

12.2 परिसमाप्ति पर।

12.3 निष्कासित होने पर।

12.4 उपविधि सं० 13 में उल्लिखित दायित्वों को पूरा करने में विफल होने पर।

12.5 बोर्ड द्वारा कहे जाने पर शेयरी तथा/या डिबेंचरो का भुगतान करने में विफल होने पर; या

12.6 यदि लगातार तीन वर्षों तक फेडरेशन (परिसंघ) के माध्यम से दो लाख रूपये से कम का व्यावसायिक लेन–देन किया जाता है। ऋतवार व्यावसायिक लक्ष्य फेडरेशन (परिसंघ) के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

12.7 कोई साधारण सदस्य, जिसकी सदस्यता समाप्त होने वाली हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर शेयरों की बदौलत उसके द्वारा भुगतान की गयी वास्तविक कुल राशि से अनधिक वापस पाने का हकदार होगा जबतक कि उपविधि सं० 10.2 के अधीन निष्कासन के परिणाम स्वरूप उसके शेयर जप्त न कर लिये जाए।

प्रबंधकर्त्ता
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन
सहकारी फेडरेशन

13. <u>सदस्यों के कर्त्तव्य</u>

प्रत्येक सदस्य :

13.1 फेडरेशन (परिसंघ) के निर्देशों के अनुसार उपापन अनुसूची बनाने की योजना बनाएगा।

13.2 फेडरेशन (परिसंघ) के निदेशों के अनुसार अपने समस्त सब्जियों तथा संश्रित उत्पादों का प्रसंस्करण, निर्माण तथा विपणन करेगा।

सब्जी उत्पादों की संघ के क्षेत्राधिकार के बाहर विपणन की जिम्मेवारी सिर्फ फेडरेशन (परिसंघ) के माध्यम से ली जाएगी।

13.3 यथा (निम्नांकित) सभी गतिविधियों से संबंधित फेडरेशन (परिसंघ) द्वारा उपबंधित कार्यक्रम स्कीमों तथा योजनाओं का अनुपालनः

13.3.1 उपापन;

13.3.2 विभिन्न ब्राण्ड/ट्रेडमार्कों के अधीन उत्पादन निर्माणः

13.3.3 सोसाइटियों का संगठन

13.3.4 तकनीकी निवेश कार्यक्रम

13.3.5 प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय पक्ष

13.3.6 कीमत, गुणवत्ता के मानक

13.3.7 कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री का उपापन; और सदस्यों द्वारा उपर्युक्त तथा अन्य बाध्यताओं को पूरा करने में विफल होने पर उन्हें बोर्ड द्वारा यथा विर्णीत परिसंघ (फेडरेशन) की परिणामी क्षति का जिम्मेवार बनाया जाएगा।

14. <u>संगठन और प्रबंधनः</u>

(i) साधारण निकाय

(ii) निदेशक मंडल

(iii) अध्यक्ष

(iv) प्रबंध निदेशक

15. <u>साधारण निकाय</u>

15.1 फेडरेशन (परिसंघ) का सर्वोच्च प्राधिकार अधिनियम, नियमावली तथा उपविधि के अध्यधीन साधारण निकाय में निहित होगा।

15.2.1 साधारण निकाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे

(i) साधारण सदस्य के रूप में नामांकित प्रत्येक संबद्ध सब्जी संघ के अध्यक्ष।

(ii) रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, बिहार, पटना का एक मनोनीत व्यक्ति।

(iii) निदेशक मंडल के सभी पदेन तथा मनोनीत सदस्य।

15.2.2 आम बैठक की अध्यक्षता निदेशक मंडल का अध्यक्ष करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, सभा अपने बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

15.3.1 आम सभा प्रत्येक वर्ष सहकारिता वर्ष अर्थात 31 मार्च की समाप्ति के छः माह के भीतर बुलायी जाएगी। इसे वार्षिक आम सभा कहा जाएगा।

15.3.2 बैठक की कार्यावली की सूचना, जिसमें बैठक तारीख, स्थान तथा समय का उल्लेख होगा, लिखित में इसके सभी सदस्यों को सभा के कम से कम चौदह दिन पूर्व निर्गत किया जाएगा। परन्तु यह और कि वार्षिक आम बैठक की स्थिति में इसके साथ वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन (यदि उपलब्ध हो) तथा तुलन–पत्र रहेगा। महा

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन

निकाय के किसी सदस्य द्वारा ऐसी नोटिस की अप्राप्ति पर बैठक की कार्यवाही रद्द नहीं होगी।

15.3.3 निम्नांकित मामले में नोटिस जरूरी नहीं होगी:

(i) कार्यसूची के कामकाज के क्रम में परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव

(ii) बैठक को समाप्त या स्थगित करने हेतु प्रस्ताव

(iii) सूचीपत्र पर बैठक अगले समय के लिए बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

(iv) चर्चा के लिए विचाराधीन मामले या प्रतिवेदन को निदेशक मंडल के पास भेजने का प्रस्ताव

(v) उपस्थित सदस्यों के 2/3 द्वारा अनुमत प्रस्ताव

15.4.1 फेडरेशन (परिसंघ) के निदेशक मंडल द्वारा किसी भी समय कोई असाधारण आम बैठक आयोजित की जा सकेगी या पश्चात कथित मामले में प्रबंध निदेशक अधियाचना के एक महीने के भीतर असाधारण बैठक बुला सकेगा।

15.4.2 सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या नियमावली के अनुसार उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कोई विशेष आम बैठक आयोजित कर सकेगा।

15.4.3 रजिस्ट्रेशन के पश्चात सदस्यों की पहली बैठक के पास वही शक्तियाँ होगी जो वार्षिक आम बैठक को दी गयी थी।

16. <u>वार्षिक आम बैठक, अन्य बातों के साथ निम्नांकित से निपटेगी :</u>

16.1 पूर्व आम बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि

16.2 बोर्ड द्वारा यथा अनुशंसित आगामी वर्ष के लिए फेडरेशन (परिसंघ) के कामकाज के कार्यक्रम तथा बजट का अनुमोदन।

16.3 स्वीकृत बजट से अधिक किये गये व्यय की अधिकता का अनुमोदन।

16.4 बोर्ड से 31 मार्च तक के तुलन–पत्र तथा फेडरेशन (परिसंघ) के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए व्यापार एवं हानि–लाभ के विवरणों के साथ–साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा मुनाफे के विनियोग को स्वीकृति प्रदान करना।

16.5 अंकेक्षण स्मार तथा निदेशक मंडल से प्राप्त अंकेक्षण अनुसमर्धन प्रतिवेदन और निबंधक, सहकारिता सोसाइटी से प्राप्त किसी अन्य संदेश की समीक्षा।

16.6.1 उप–विधि के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल की यथा अनुशंसा सदस्यों के निष्कासन, यदि कोई हो, पर विचार करना।

16.6.2 प्रबंध निदेशक को हटाने पर विचार।

16.7 निदेशक मंडल की तथा अन्य बैठकों में भाग लेने क लिए निदेशक मंडल के सदस्यों को भुगतान किये जानेवाले भत्तों का निर्धारण।

16.8 यथा समय यथा जरूरत उप–विधि में कुछ जोड़ना, बदलना और संशोधन करना।

16.9 आगामी सहकारिता वर्ष के लिए फेडरेशन (परिसंघ) की अधिकतम दायता निर्धारित करना।

16.10 निदेशक मंडल के सदस्यों पर किये गये व्यय का अनुमोदन।

16.11 इस उपविधि और नियमावली के अनुसार निदेशक मंडल का चुनाव।

16.12 अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुमति के सामने लाये गये किसी अन्य कारोबार पर विचार करना।

Amit

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन
सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लिमिटेड

17. मतदान का अधिकार
प्रत्येक सदस्य के पास उसकी साधारण सदस्यता की बदौलत एक मत होगा। प्रतिनिधि मत की अनुमति नहीं होगी।

18. नोटिस जारी होने की तिथि को किसी साधारण बैठक के लिए 1/5 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होगा।

18.1 कोई असाधारण आम बैठक या कोई विशेष बैठक उन सभी कामों को निष्पादित कर सकेगी जिसे वार्षिक आम बैठक करती है।

18.2 यदि किसी आम बैठक में बैठक के लिए निर्धारित समय के एक घंटे के भीतर कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक अगली तिथि तक के लिए स्थगित हो जाएगी जो निर्धारित तिथि के सात दिनों से पहले और इक्कीस दिनों के बाद नहीं होगी।

18.3 परन्तु यह कि यदि कोई अधियाचित बैठक है तो विहित समय के भीतर कोरम नहीं पूरा होने पर यह बैठक रद्द हो जाएगी। किसी स्थगित बैठक के लिए कोरम की जरूरत नहीं होगी लेकिन कोई स्थगित बैठक, बैठक के लिए प्रेषित नोटिस में विनिर्दिष्ट कामों के अलावे कोई अन्य कार्य कर सकेगी।

19. निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाएगा। समान मत प्राप्त होने की स्थिति में अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में डाले गये अपने मत के अलावे एक और मत डालेगा।

20. निदेशक मंडल – निदेशक मंडल में अधिकतम 05 सदस्य होंगे जिसका कोरम तीन (03) का होगा।

20.1.1 निदेशक मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

1. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (पदेन) – अध्यक्ष
2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार द्वारा नामित एक सदस्य (उप निबंधक से अन्यून)– सदस्य
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्कराण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि॰ – सदस्य सचिव
4. फेडरेशन से सम्बद्ध संघ/संघों के अध्यक्ष – सदस्य (अधिकतम दो)

20.1.2 निदेशक मंडल सहकारिता अधिनियम के अनुसार एक पूरे कार्यकाल के लिए होगा बशर्ते कि प्रथम निदेशक मंडल निम्नांकित से निर्मित पांच (05) सदस्यीय मनोनीत निदेशक मंडल हो जिसका कोरम तीन (03) का होगा:–

1. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग बिहार, पटना (पदेन) – अध्यक्ष
2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार द्वारा नामित एक सदस्य (उप निबंधक से अन्यून)– सदस्य
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्कराण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि॰ – सदस्य सचिव
4. फेडरेशन से सम्बद्ध संघ/संघों के अध्यक्ष – सदस्य (अधिकतम दो)

अधिनियम के अनुसार अधिसूचित बोर्ड एक पूरे कार्यकाल के लिए होगा बशर्ते कि कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल आगे आवश्यक माने जाने तक के लिए विस्तारित किया जाए।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन

20.1.3 निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को इस उपविधि के अधीन यथा निर्धारित मतदान का अधिकार होगा।

21. निदेशक मंडल की सदस्यता की अवधि :

जब किसी व्यक्ति को अपने सब्जी संघ में धारित पद के कारण निदेशक मंडल का सदस्य बनता है तो निदेशक मंडल की उसकी सदस्यता तब समाप्त होगी जब वह उस पद पर बना नहीं रहेगा और उत्तराधिकारी स्वतः निदेशक मंडल में उसका स्थान ले लेगा बशर्ते कि वह उप विधि में वांछित अर्हता पूरी करता हो। यदि संबद्धता प्राप्त संघों की संख्या फेडरेशन (परिसंघ) के निदेशक मंडल में उनके लिए आवंटित संख्या से अधिक हो, तो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा।

21.1 जिस संघ के पास अर्हता न हो तथा जो उपविधि द्वारा निर्धारित बाध्यताएँ पूरी न करता हो, तो ऐसे संघ का अध्यक्ष निदेशक मंडल का सदस्य बना नहीं रह सकेगा।

22. ऐसी किसी सदस्य को, जिसका किसी मामले में व्यक्तिगत या कोई अन्य हित जुड़ा होगा, उस मामले की कार्यवाही में हिस्सा लेने या मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

23. निदेशक मंडल या किसी व्यक्ति द्वारा निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में किये गये समस्त कार्य वैध होगी जैसे या ऐसा कोई व्यक्ति विधिवत नियुक्त किया गया हो भले ही बाद में चलकर यह पता चले कि ऐसे निदेशक मंडल या व्यक्ति की नियुक्ति में कुछ कमी रह गयी थी।

24. वैसे निदेशक मंडल जब–जब आवश्यक समझे बैठक कर सकेगा, परन्तु यह प्रत्येक दो महीने पर एक बैठक करेगा।

25. निदेशक मंडल की शक्ति, उसके उत्तरदायित्व और कार्य :

फेडरेशन (परिसंघ) की नीति–निर्धारण की शक्ति निदेशक मंडल में निहित होगी। इस अधिनियम या इसके बाद इसका स्थान लेनेवाले ऐसे अधिनियम और उक्त अधिनियम के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पारित किसी नियमावली के अध्यधीन और इस उपविधि तथा इस उपविधि द्वारा दी गयी साधारण शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फेडरेशन (परिसंघ) द्वारा विधिवत निर्मित किसी उपविधि के भी अध्यधीन फेडरेशन (परिसंघ) के विधिवत प्रबंधन के लिए और फेडरेशन (परिसंघ) की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गयी है उसे प्राप्त करने तथा इसके हितों को प्राप्त को प्राप्त करने एवं आगे बढ़ाने के लिए की गयी है उसे प्राप्त करने तथा इसके हितों को प्राप्त करने एवं आगे बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल तमाम ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करेगा और उनका प्रयोग करेगा और ऐसे सभी संधियों में शामिल होगा, ऐसे तमाम इन्तजाम करेगा, ऐसी सभी कार्यवाहियाँ करेगा और ऐसा सभी कृत्य एवं चीजें करेगा जो आवश्यक और उचित हो। निदेशक मंडल को निम्नांकित शक्तियाँ और प्राधिकार दिये गये हैं :

25.1 पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करना।

25.2 अधिगृहित जमीन और या इमारतों का क्रय करना या लीज पर या अन्यथा हासिल करना, और/या इमारतें बनवाना।

25.3 इस उप विधि के उपबंधों के अध्यधीन के अनुसार फेडरेशन (परिसंघ) के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए समय--समय पर आवश्यक निधियाँ ऋण लेना।

25.4 पौधों के लिए विद्युत पैदा करने, सब्जी उत्पादों के प्रसंस्करण की जिम्मेवारी लेने के लिए लाइसेंस रखने की आवश्यकता से छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन करना।

25.5 राज्य की नियमावली के अधीन आवश्यक लाइसेंस के लिए आवेदन करना।

25.6 फेडरेशन (परिसंघ) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लाभदायक कोई पेटेण्ट, आविष्कारों के पेटेण्ट अधिकार, व्यापार अधिकार, तकनीकी और/या व्यवहार ज्ञान की गुप्त प्रक्रिया की कॉपीराइट लाइसेंस या अन्यथा के माध्यम से सीधे क्रय करने या अन्यथा हेतु आवेदन करना।

25.7 फेडरेशन (परिसंघ) के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों या उनके संबंधियों या ऐसे लोगों के आश्रितों के कल्याण एवं पोषण के लिए निधियाँ एवं न्यास सृजित करना।

25.8 फेडरेशन (परिसंघ) या फेडरेशन (परिसंघ) के कार्यों से संबंधित इसके पदाधिकारियों या अन्यथा के विरूद्ध या द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही गठित करना, संचालित करना बचाव करना, संयुक्त करना या छोड़ देना और फेडरेशन (परिसंघ) द्वारा या उसके विरूद्ध किसी बकाया ऋण के भुगतान या संतुष्टि के लिए और किन्हीं दावों और/या माँगों को पंचायती या अन्यथा द्वारा सुलझाना।

25.9 किसी सदस्य, जिसका आचरण बोर्ड के विचार से फेडरेशन (परिसंघ) के हित में हानिकारक है, के निष्कासन हेतु बैठक में उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से साधारण निकाय को अनुशंसा करना।

25.10 सदस्यों का दाखिला लेना शेयर तथा/या डिबेंचर आवंटित करना

25.11 इस उप विधि में यथा विहित सदस्यों को फेडरेशन (परिसंघ) के साथ इकाई की भाषा में उनके लेन–देन के अनुपात में शेयर पूँजी और/या डिबेंचर का ग्राहक बनने की अपेक्षा करना।

25.12 अंकेक्षण नोट प्राप्त करना और आगामी आम बैठक के समक्ष रखने के लिए इसके अनुसमर्थन प्रतिवेदन को अनुमोदित करना।

25.13 वार्षिक लेखा, वार्षिक प्रतिवेदनों को अनुमोदित करना तथा फेडरेशन (परिसंघ) द्वारा अर्जित मुनाफे के वितरण की अनुशंसा करना।

25.14 फेडरेशन (परिसंघ) के माध्यम से कच्चे मालों तथा संश्रित सब्जी उत्पादों के उपापन, निर्माण, प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु सेवा शुल्क की दर निर्धारित करना।

25.15 सब्जियों तथा अन्य जिन्सों के उपापण पर प्राथमिक सोसाइटियों/संघों को भुगतान की जानेवाली कमीशन दर तथा मूल्य संरचना निर्धारित करना।

25.16 सदस्य द्वारा आपूर्तिकृत सब्जी तथा संश्रित उत्पादों के लिए मूल्य संरचना निर्धारित करना।

25.17 जब जरूरत पड़े या अनुरोध किया जाए, सदस्य संघों के प्रबंधन को अधिग्रहित करने का निर्णय लेना।

25.18 फेडरेशन (परिसंघ) के सभी प्रकार के चल–अचल परिसंपत्तियों के विरूद्ध बीमा करना।

25.19 इसके ट्रेड मार्क/ब्राण्ड नाम के प्रयोग के लिए शुल्क निर्धारित करना।

25.20 योजनाओं, प्रक्कलनों तथा फेडरेशन (परिसंघ) के व्यवसाय के लिए संयंत्र, मशीनरी तथा अन्य संपत्तियाँ खड़ी करने को स्वीकृति प्रदान करना।

25.21 यदि फेडरेशन (परिसंघ) के व्यवसाय के लिए किसी भूमि तथा किन्हीं चल संपत्तियों की जरूरत नहीं रह गयी हो तो उनके विक्रय का अनुमोदन करना परन्तु यह कि राज्य सरकार से या उसके माध्यम से अधिग्रहित कोई संपत्ति राज्य सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के बेची नहीं जाएगी।

25.22 फेडरेशन (परिसंघ) द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लेना।

25.23 आम बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना तथा बैठक के लिए समय, स्थान तथा तिथि निर्धारित करना।

गठनकर्ता
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन

25.24 फेडरेशन के निदेशक मंडल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तावों के तकनीकी पहलुओं के दृष्टिगत फेडरेशन निदेशक मंडल की बैठक में सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय, वित्त विभाग आदि एवं अन्य संस्थानों से विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित / परामर्शी के रूप में बुला सकता है परन्तु इन्हें मताधिकार नहीं होगा।

25.25 **प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति :**

प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यकारी की नियुक्ति इस निमित्त निर्मित पैनेल की अनुशंसा पर निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। प्रबन्ध निदेशक पद के लिए अर्हता निम्नांकित होगी: अधिमानत व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ खाद्य प्राधौगिकी / अभियंत्रिकी / प्रसंस्करण / प्रौद्योगिकी / कृषि विज्ञान / बागवानी में अच्छी डिग्री / कम से कम 10 वर्षो का प्रबंधकीय अनुभव अनिवार्य, जिसमें किसी बड़े सब्जी / खाद्य उपभोक्ता प्रसंस्करण इकाई के समग्र प्रभारी के रूप में तीन वर्षें का अनुभव। सिद्ध प्रबंधकीय सामर्थ्य का व्यक्ति या भारतीय प्रशासनिक सेवा से आहरित कोई पदाधिकारी होना चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा विकास वित्त अभिकरण यदि कोई हो, के परामर्श पर नियुक्त किया जाएगा, परन्तु यह कि ऐसे अभिकरण से परामर्श तभी तक आवश्यक होगा जब तक अभिकरण को ऋण चुकाया जाता है। परन्तु जब तक राज्य सरकार आवश्यक समझेगी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति अथवा पदस्थापन राज्य सरकार कर सकेगी।

25.26 विशेषज्ञ पैनल प्रबंधकीय संस्थापन विनिश्चित करेगा। जिसमें शामिल होंगे–आवश्यक कर्मी, उनकी अर्हता, अनुभव, कार्य अपेक्षाएँ, वेतनमान इत्यादि तथा अनुमोदन हेतु अपनी अनुशंसा निदेशक मंडल को भेजेगा। पैनल निम्नांकित सदस्यों से निर्मित होगा :

I. राज्य सरकार का मनोनीत व्यक्ति
II. फेडरेशन (परिसंघ) का प्रबंध निदेशक
III. पेशेवरों के दो प्रतिनिधि, एक एच॰आर॰ तथा एक संगठन विकास।

25.27 इन पैनलों की अनुशंसा के अनुमोदन के पश्चात्, प्रबंध निदेशक, कर्मियों की बहाली के लिए आवंटन आमंत्रित करेगा और विशेषज्ञ पैनल सुयोग्य प्रत्याशियों की बहाली करेगा। इस पैनल पर प्रबन्ध निदेशक के सिवाय वरिष्ठ पदाधिकारियों के पद हेतु प्रत्याशियों के चुनाव का दायित्व होगा। प्रबंध निदेशक के चुनाव एवं बहाली के लिए विशेषज्ञ पैनल में निम्नांकित सदस्य होंगे :

I. राज्य सरकार के प्रतिनिधि
II. फेडरेशन(परिसंघ) के अध्यक्ष
III. वित्तीय अभिकरण के प्रतिनिधि

''परन्तु यह कि यदि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तो इस धारा के अधीन उपबंधित प्रबंध निदेशक के चुनाव एवं बहाली की प्रक्रिया लागू नहीं होगी।'' फेडरेशन (परिसंघ) के कनिष्ठ कर्मियों की बहाली के लिए प्रबंध निदेशक को फेडरेशन (परिसंघ) के कम से कम तीन पदाधिकारियों का पैनल गठित करने की शक्ति होगी। प्रबंघ निदेशक को फेडरेशन (परिसंघ) , संघों तथा प्राथमिक सोसाइटियों के प्रबंधकीय तथा सहायक कर्मियों की बहाली के लिए जानेमाने एच॰आर॰ अभिकरण को संविदा पर काम में लगाने की शक्ति होगी।

25.28 यथा पारस्परिक सहमति ऋण एवं अनुदान के लिए वित्तीय संस्थान से समझौते की शर्तो एवं निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

25.29 यदि फेडरेशन के निदेशक पर्षद के विचारण में ऐसा पाया जाता है कि सम्बद्ध संघ के आम सभा अथवा निदेशक मंडल अथवा कार्यकारी समिति अथवा परामर्शदातृ समिति अथवा अन्य कोई कमिटी द्वारा पारित प्रस्ताव अधिनियम अथवा नियमावली अथवा संघ के उपविधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है अथवा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अथवा सब्जी उत्पादक सदस्यों के हित के प्रतिकूल है तो ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर संघ को अपनी वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हुए तथा संघ द्वारा समर्पित वस्तुस्थिति पर विचार करते हुए यदि एतद् संबंधी प्रतिकूलता का समाधान होता है तो फेडरेशन ऐसे प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है।

26. फेडरेशन(परिसंघ) के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए तथा सहकारिता फेडरेशन (परिसंघ) वाद के आधार पर कामकाज को समन्वित करने के लिए बोर्ड अधिनियम, नियमावली एवं उपविधि के उपबंधों तथा संघों एवं प्राइमरियों हेतु निदेश के संगत सहायक नियमावली गठित करने में सक्षम होगा। यह नियमावली रजिस्ट्रार के अनुमोदन के पश्चात् लागू होगी।

27. फेडरेशन (परिसंघ) के कामकाज के लिए बोर्ड को एक सामान्य मुहर निर्गत करने की शक्ति होगी और प्रबंध निदेशक या बोर्ड के प्राधिकारी के सिवा इसे किसी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जागगा। प्रत्येक दस्तावेज या कागजात, जिस पर मुहर लगायी जाएगी, बोर्ड द्वारा यथा वर्णित प्रबंध निदेशक और/या अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

28. <u>प्रबन्ध निदेशक की शक्तियाँ :</u>

28.1 28.2 के अधीन उल्लिखित शक्तियों के अलावे बोर्ड संकल्प द्वारा प्रबन्ध निदेशक में और शक्तियाँ निविष्ट कर सकेगा और ऐसी शक्तियों को यथा निर्धारित ऐसी शर्तो पर तथा ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन ऐसी अवधि या उपविधियों के लिए उपयोग्य बनाया जा सकेगा।

28.2 प्रबन्ध निदेशक की साधारण शक्तियाँ, कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व निम्नांकित होंगे :

28.2.1 फेडरेशन (परिसंघ) के प्रशासन तथा कामकाज पर उसका साधारण नियंत्रण रहेगा।

28.2.2 वह दस लाख रूपये मूल्य से अधिक किसी भूमि, इमारत या संपत्ति का क्रय, लीज ग्रहण या अधिग्रहण कर सकेगा।

28.2.3 वह फेडरेशन(परिसंघ) की ओर से वाद चलाने वाला पदाधिकारी होगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा तथा फेडरेशन (परिसंघ) के पक्ष में सारे बंधपत्र तथा समझौते उसके नाम होंगे।

28.2.4 उसे फेडरेशन(परिसंघ) के लिए तथा उसकी ओर से चेकों तथा अन्य विनिमेय उपकरणों का अनुमोदन, हस्ताक्षरित विनिमय करने की शक्ति होगी। वह सभी जमापर्चियों पर हस्ताक्षर करेगा तथा किसी बैंक में फेडरेशन (परिसंघ) के खातों का संचालन करेगा।

28.2.5 उसे जिस कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्तियाँ होंगी उन्हें वह सेवा से बर्खास्त सहित दण्ड दे सकेगा।

28.2.6 वह समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ग्राहकों को उधार देने की अनुमति दे सकेगा।

28.2.7 वह फेडरेशन(परिसंघ) के लिए/की ओर से आयात–निर्यात व्यवसाय की शुरूआत कर सकेगा।

28.2.8 वह सरकार तथा अन्य संगठनों से बातचीत करेगा।

28.2.9 वह सब्जी तथा संश्रित उत्पादों के परिवहन एवं भंडार ण की आवश्यक व्यवस्था करेगा।

28.2.10 वह सभी प्रकार के जोखिमों के विरूद्ध फेडरेशन(परिसंघ) सभी संपत्तियों की बीमा की व्यवस्था करेगा।

28.2.11 वह फेडरेशन(परिसंघ), संघो तथा सोसाइटियों में काम करने वाले सदस्यों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगा।

28.2.12 वह फेडरेशन (परिसंघ) को चलाने के लिए आवश्यक इमारतें, भूमि के क्रय, विक्रय, लीज हेतु संविदा या समझौतों में प्रविष्ट होगा तथा फेडरेशन (परिसंघ) की ओर से दस्तावेज निष्पादित करेगा और फेडरेशन (परिसंघ) की ओर से या उसके द्वारा गठित समस्त कानूनी कार्रवाई में उसका प्रतिनिधित्व करेगा।

28.2.13 वह फेडरेशन (परिसंघ) के समुचित खाता संधारण की व्यवस्था करेगा।

28.2.14 वह निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, तुलन–पत्र तथा सुनिश्चित वर्ष के लिए फेडरेशन (परिसंघ) का बजट तैयार करने की व्यवस्था करेगा।

28.2.15 वह इस उपविधि के अधीन यथा आवश्यकता निदेशक बोर्ड की बैठक आयोजित करेगा और निदेशक मंडल जैसा और जब निदेश देगा या आवश्यक समझा जाएगा या अपेक्षित संख्या में सदस्यों की माँग प्राप्त होने पर या निबंधक की माँग पर आम बैठक आयोजित करेगा।

28.2.16 वह सदस्य संघो तथा सोसाइटियों के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

28.2.17 वह परामर्शियों / विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा और उसके मानदेय निर्धारित करेगा।

28.2.18 प्रबंध निदेशक जिन सहायक पदाधिकारियों को ठीक समझे उन्हें अपनी शक्तियाँ सौंप सकेगा।

29. कार्यक्रम समिति :

कार्यक्रम समिति का सृजन निम्नांकित से होगा :–

I. फेडरेशन (परिसंघ) का प्रबंध निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

II. सभी संबद्ध साधारण सब्जी संघों के वेतनभोगी मुख्यकार्यकारी

III. संबंधित मामलों के लिए फेडरेशन (परिसंघ) के राज्य प्रबंधक कार्यक्रम समिति की बैठक जैसी और जब जरूरत होगी तब परन्तु कम से कम तीन महीने में एक बार होगी।

30. कार्यक्रम समिति के कार्य :–

30.1 कार्यक्रम समिति निम्नांकित कार्य निष्पादित करेगी :

30.1.1 वह पिछले वर्ष के लिए विर्निमाण कार्यक्रम की अनुशंसा करना तथा समय–समय पर इसकी समीक्षा करना।

30.1.3 सब्जी सहकारी संघों तथा प्राथमिक सब्जी सोसाइटियों को संगठित करने के लिए कार्यक्रम की अनुशंसा करना।

30.1.4 विनिर्माण, प्रसंस्करण, कमीशन, पैकेजिंग शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, ग्राहक शुल्क, रॉयल्टी इत्यादि के लिए विभिन्न मूल्यों की दर की अनुशंसा करना।

30.1.15 कच्चे मालों और / या परिष्कृत उत्पाद के मूल्यों की अनुशंसा करना।

30.1.6 सब्जियों तथा सश्रित उपापन, सरक्षण, प्रसंस्करण तथा विपणन की शर्तो एवं निबंधनों को विहित एवं अनुशंसा करना।

30.1.7 समय–समय पर उपापन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीतियों की समीक्षा करना।

30.1.8 सदस्यों की उत्पादकता में वृद्धि के उपाय, सुझाना तथा उसके क्रियान्वयन में मदद करना।

30.1.9 बाजार शोध एवं विकास की जिम्मेवारी लेने का सुझाव देना।

30.1.10 बाजार की रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन उपापन की योजना बनाना।

30.1.11 प्रबंधन के सभी पहलुओं में सदस्यों की मदद करना एवं सुझाव देना।

30.1.12 सदस्य संघों को वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक सहायता की अनुशंसा करना और सहयोग संधियों में प्रवेश करने की अनुशंसा करना।

30.1.13 जन संपर्क तथा संश्रित मामलों पर सदस्य संघों को सुझाव देना।

30.1.14 कार्यक्रम समिति, यदि आवश्यक समझे तो, किसी समस्या विशेष पर प्रतिवेदनार्थ एक उपसमिति नियुक्त कर सकेगी तथा आवश्यक होने पर, यह उप समिति संबद्ध संघों के स्टाफ सदस्यों के बीच से उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से सहयोजन कर सकेगी।

31. अत्यावश्यक होने पर, जब बोर्ड की बैठक होने तक निर्णय विशेष प्रतीक्षा न कर सकता हो तो, इसके सभी सदस्यों के बीच से एक संकल्प पत्र द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा और इस प्रकार अनुमोदित कोई संकल्प जिस पर सभी सदस्यों ने विधिवत हस्ताक्षर किया हो, उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी माना जाएगा जैसे यह संकल्प बोर्ड की बैठक में पारित किया गया हो।

32. <u>मुनाफे का वितरण :</u>

वार्षिक आम बैठक में निम्नांकित रूप से शुद्ध मुनाफे का वितरण किया जाएगा:

32.1 25% सुरक्षित निधि को जाएगा।

32.2 सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन जब और जैसी जरूरत हो, बिहार सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) को शैक्षिक निधि में सहयोग।

32.3. सहकारिता सोसाइटी अधिनियम, 1935 द्वारा यथा विहित शुद्ध मुनाफे की एक राशि भुगतान की गयी शेयर पूँजी पर लाभांश के रूप से वितरित की जाएगी। उपर्युक्त सांविधिक कटौतियों के पश्चात शुद्ध मुनाफे की शेष राशि सामान्य निधि में जाएगी और/या सदस्य संघो में, फेडरेशन (परिसंघ) के माध्यम से उनके व्यवसाय के अनुपात में, बोनस के रूप में वितरित किया जाएगा और/या आम बैठक द्वारा यथाविनिश्चत शोध एवं विकास में उपयोग किया जाएगा।

33. <u>सुरक्षित निधि :</u>

उपविधि 32 में उल्लेखित रकम के अलावे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से इतर सभी प्रवेश शुल्क, दान तथा कर्मचारियों से एकत्रित राशि से इतर जब्त शेयर से प्राप्त राशि सुरक्षित निधि को जाएगी।

34. <u>लेखा एवं अभिलेख</u>

फेडरेशन (परिसंघ) का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से इकतीस मार्च तक होगा। खाता बही एवं अन्य अभिलेख नियमावली में यथा विहित तथा निदेशक बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे गये जोड़ों के साथ निबंधक द्वारा यथा निदेशित भी संधारित किये जाएगे।

35. सदस्य संघो की उपविधि में उपबंधों या असंगति या प्रतिकूलता की स्थिति में फेडरेशन (परिसंघ) की उपविधि अधिनियम एवं नियमावली में उपबंध के अध्यधीन अधिभावी प्रभाव की होगी।

36. इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी उपविधि बदली या रद्द नहीं की जाएगी और कोई उपविधि जोड़ी नहीं जाएगी सिवाय आम बैठक में उपविधि कम से कम दो तिहाई सदस्यों से निर्मित बहुमत के मत द्वारा ऐसी बैठक की नोटिस में प्रस्तावित बदलाव, जुड़ाव या अपगमन विनिर्दिष्ट रहेगा। संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक यह निबंधक द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

Amit

मुख्य कार्यपालक (गठनकर्ता)
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन
सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लिमिटेड

37. <u>नोटिश का तामिला :</u>

जिस प्रकार भी, उन उप विधियों में, यह प्रस्तावित है कि किसी सदस्य को लिखित नोटिस दी जाएगी, तो किसी सदस्य, संस्था के पंजीकृत कार्यालय पर ऐसे नोटिस की सुपुर्दगी ऐसे नोटिस के पर्याप्त तामीला की तरह मानी जाएगी।

Amit Kr. Shukla

गठनकर्ता
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन
सहकारी फेडरेशन (परिसंघ) लिमिटेड,
पटना।

(1) Amit Kr. Shukla

(2)